न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–01, औरैया।
विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम

दण्ड प्रकीर्ण संख्या 162/2019

प्रताप नारायण प्रति नीलेश कुमार आदि।

दिनांक 16.01.2020

पत्रावली पेश हुई। आज पत्रावली प्रार्थना पत्र 3ख अन्तर्गत धारा 156(3) दंण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 20.12.2019 के निस्तारण हेतु नियत है। प्रार्थी/आवेदक प्रताप नारायण के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षीगण उपरोक्त प्रार्थी के रिश्तेदार हैं। प्रार्थी ने सन 2012 में अपने रिश्तेदार नीलेश कुमार एवं अपनी पुत्री आकांक्षा उम्र करीब 11 वर्ष एवं अपने पुत्र नवीन कुमार जो कि पुत्री से करीब 02 वर्ष बड़ा था और नीलेश कुमार जो कि प्रार्थी का सगा भान्जा है और उस समय बालिग था। तीनों को कस्बा औरैया में स्व0 राजाराम के मकान में किराये पर पढ़ने के लिए रख दिया था। उपरोक्त मकान द्विवेदी गेस्ट हाउस के पास निषाद नगर औरैया में है। दिनांक 05.01.2014 को जब उसका बेटा नवीन कुमार कोचिंग पढ़ने चला गया था। उसी समय नीलेश के पिता रामशरण व मां श्रीमती पानकुंवर उपरोक्त मकान पर आये और उसकी बेटी को कुछ मिठाई खिलाई जिससे उसकी बेटी अर्द्धमूर्छित हो गयी, तभी नीलेश कुमार ने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जब उसकी बेटी को होश आया तो तीनों कहने लगे कि ''अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे भाई नवीन कुमार की हत्या कर देंगे''। प्रार्थी की पुत्री इसी बात से डरी सहमी रही। नीलेश कुमार तब से लगातार उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार करता है। करीब एक माह पूर्व नीलेश कुमार ने उसकी पुत्री को सुभाष चौक पर बुलाया और कहा कि ''मेरे साथ होटल चलो'' जब उसकी पुत्री ने होटल जाने से मना किया तो कहने लगा कि ''हम तुम्हारी बदनामी करेंगे'' तब प्रार्थी की पुत्री ने घर पर आकर सारी घटना उसे व उसकी पत्नी को बतायी। प्रार्थी ने जब तीनों लोगों से शिकायत की तो उपरोक्त अभियुक्तगण कहने लगे कि ''तुम्हारे बेटे नवीन की हत्या कर देंगे''। प्रार्थी इस घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना औरैया गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तब प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक औरैया को प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना के आलोक में सम्बन्धित थाना से आख्या आहूत की गयी। सम्बन्धित थाना की आख्या कागज संख्या–9ख में कथन किया गया है कि प्रार्थी अपनी पुत्री आकांक्षा व पुत्र नवीन कुमार को सन 2012 में किराये पर

द्विवेदी गेस्ट हाउस के पास निषाद नगर औरैया में स्व0 राजाराम के मकान में कमरा लेकर पढ़ने के लिए रखा था तथा वहीं पर अपनी सगी बहन के लड़के नीलेश कुमार पुत्र रामशरण निवासी ग्राम मल्लाहन पुर्वा रामपुरा जिला जालौन को रखा था। जब प्रार्थी की बहन के लड़के नीलेश कुमार ने बी0टी0सी0 कर लिया और टेट पास कर लिया तथा उसकी शादी हो गयी तो अब प्रार्थी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी नीलेश ने दिनांक 05.01.2014 को उसकी पुत्री आकांक्षा के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। अब प्रार्थी जबरदस्ती अपनी पुत्री आकांक्षा का विवाह अपनी बहन पानकुंवर पत्नी रामशरण के पुत्र नीलेश कुमार से विवाह करना चाहता था। जब विपक्षीगण विवाह के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। इस बीच 2014 से 2019 तक प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। अब जब विपक्षी की शादी हो गयी तो विवाह के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्रताप नारायण ने अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण जोकि, आवेदक की सगी बहन, बहनोई एवं भान्जा है, के द्वारा दिनांक 05.01.2014 को उसकी पुत्री आकांक्षा को अर्द्धमूर्छित करके एवं विपक्षी संख्या–01 नीलेश कुमार द्वारा पुत्री आकांक्षा के साथ बलात्कार करने तथा बाद में भी विपक्षी संख्या–01 द्वारा कई बार पुत्री से बलात्कार किये जाने का कथन किया है। आवेदक प्रताप नारायण ने कथित घटना वर्ष 2014 की बतायी है तथा कथित घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2019 को अर्थात् छः वर्ष बाद दिया है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा है कि विपक्षी संख्या–01 नीलेश कुमार उसकी पुत्री के साथ लगातार बलात्कार कर रहा था, इतने विलम्ब से प्रार्थना पत्र दिये जाने के किसी उचित कारण का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। आवेदक ने केवल यह लिखा है कि विपक्षीगण ने उसके बेटे की हत्या करने की धमकी दी थी। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या–01 नीलेश कुमार, जोकि बी.टी.सी. एवं टेट (TET) पास है, का विवाह आवेदक प्रताप नारायण जबरदस्ती अपनी पुत्री से कराना चाहता था तथा विपक्षीगण इस विवाह के लिए तैयार नहीं हुए एवं अब विपक्षी नीलेश कुमार का विवाह हो गया है। इस प्रकार कथित घटना जोकि दिनांक 05.01.2014 की, अर्थात् छः वर्ष से भी अधिक पूर्व की बतायी गयी है, के सम्बन्ध में इतना विलम्ब से प्रार्थना पत्र दिये जाने से कथित घटना प्रथम दृष्टया स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Anil Kumar vs M.K. Aiyappa (2013) 10 SCC 705, Maksud Saiyed (2008) 5 SCC 668, Ramdev Food Products Private Limited vs. State of Gujarat, (2005) 6 SCC 439 एवं Mrs. Priyanka Srivastava and another vs. State of

U.P. and others (2015) 6 SCC 287 में निर्णीत इन विधियों में अवधारित किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के निस्तारण के सम्बन्ध में न्यायालय को अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिये अर्थात पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय को यह प्रथम दृष्टया यह देखना चाहिये कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन विश्वसनीय हैं अथवा नहीं, यह भी देखना चाहिए कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पैसे के लेनदेन एवं अन्य दीवानी विवाद को निपटाने के लिए दिया गया है या नहीं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Contempt Petition (Civil) No. 2120/2018, SLP (Civil) No. 20417/2017 Vijay Prakash Singh Vs. Sameer Gehlaut & Ors. (निर्णय दिनांकित 15.11.2019) में अवधारित किया है कि एक मुकदमेबाज को हमेशा सच्चा एवं ईमानदार होना चाहिए, जो व्यक्ति साम्य (Equity) चाहता है, उसे किसी भी सम्बन्धित सामग्री को नहीं छिपाना चाहिए।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों का प्रथम दृष्टया विवेचन करने एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधियों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन करने के उपरान्त इस न्यायालय की राय है कि विपक्षी संख्या–01 नीलेश जो कि आवेदक प्रताप नारायण की सगी बहन का लड़का है, शादीशुदा है तथा बी0टी0सी0 एवं टेट (TET) उत्तीर्ण है तथा विपक्षी संख्या–01 नीलेश द्वारा आवेदक की पुत्री से शादी से इन्कार करने पर दूरस्थ आशय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक प्रताप नारायण द्वारा छः वर्ष पूर्व की कथित घटना के सम्बन्ध में इतना विलम्ब से प्रार्थना पत्र दिये जाने से कथित घटना प्रथम दृष्टया स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिक प्रताप नारायण द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र कागज संख्या 3ख अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 दिनांकित 20.12.2019 निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांकः–16.01.2020</u>

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संर0 अधि0
कक्ष संख्या–01 औरैया।
JO Code No.- UP5940